102/2021/I/91843/2021-71-2099/2543/2020

प्रेषक,

शुभ्रा सक्सेना ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 26 अगस्त, 2021

विषयः-संस्थान परिसर के अन्तर्गत निर्माणाधीन मैरिड नर्सेज फ्लैट-100 नग हेतु 5 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध मे ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पी0जी0आई0/सिविल अभि/एन0बी0-86/2012/324/2021, दिनांक 10-08-2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयगत परियोजना हेतु अवशेष 05 प्रतिशत धनराशि रू0 122.50 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ के अन्तर्गत निर्माणाधीन मैरिड नर्सेज फ्लैट-100 नग हेतु शासनादेश दिनांक 07-03-2013 द्वारा रू0 1264.78 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। पुनः शासनादेश दिनांक 10-09-2015 द्वारा प्रायोजना की पुनरीक्षित लागत रू0 2450.04 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी जिसके सापेक्ष अब तक विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से कुल रू0 2327.54 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में संस्थान के वृहत निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मैरिड नर्सेज फ्लैट-100 नग हेतु अनुमोदित लागत रू0 2450.04 लाख के सापेक्ष अवशेष 5 प्रतिशत की धनराशि रू0 122.50 लाख अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
2. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, संस्थान की होगी।
3. वित्त विभाग के के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22, मार्च 2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
5. धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पूंजीगत परिव्यय-03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03- संजय गांधी स्नात्कोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22, मार्च 2021 द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(शुभ्रा सक्सेना)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, लखनऊ ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
5. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
7. महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमि0 लखनऊ।
8. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।